2020

श्रम किरण

दत्तोपंत ठेंगडी
राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार

संदेश

14 सितम्बर, 2019 को हिन्दी दिवस के अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भारत एक बहु–भाषी देश है। यहां अनेक भाषाएं बोली एवं समझी जाती हैं। इन सबके बीच हिन्दी भारत की राजभाषा है और साथ ही यह हमारे देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा भी है। भारत की आजादी के आंदोलन में हिन्दी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, साथ ही यह हमारी राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता की परिचायक भी है, इसीलिए संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था।

हिन्दी में काम करना आसान है। सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसे सरल एवं सहज रूप में लिखें। हमारे मंत्रालय का कार्य भी ऐसा है जिसमें हमें समाज के छोटे से छोटे वर्ग तक पहुंचना होता है और उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाता हैं। ऐसे में हिन्दी सरकारी नीतियों को सभी वर्गों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में 02 से 16 सितम्बर, 2019 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का सरल और सहज रूप में अधिकाधिक प्रयोग करते हुए इस आयोजन को सफल बनाएंगे और सरकारी कार्य को हिन्दी में करने के अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखेंगे।

जय हिन्द।

(संतोष कुमार गंगवार)

हिरण्मय पाण्ड्या
अध्यक्ष

भारत सरकार
Govt. of India
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development
Chairman Office
7th, Room No: 21-22
Jam Nagar House, Man Singh Road, New Delhi-110011

शुभकामना संदेश

मुझे यह सुनकर बहुत हर्ष हो रहा है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 'श्रम किरण' हिन्दी पत्रिका (ई–मैगजीन) प्रकाशित करने जा रहा है।

हिन्दी सहज एवं सरल भाषा है। भारत में विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेकता में एकता है। हिन्दी संघ की राजभाषा है जो एक सूत्र में हर भारतीय भाषाओं को पिरोकर गौरवान्वित हो रही है।

श्रमिक वर्ग अपने देश की धरोहर हैं, उनके बीच सम्प्रेषण के लिए हिन्दी भाषा एक सशक्त माध्यम है। दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, भारत सरकार की श्रमिक शिक्षा नीति को बहुत ही तत्परता से कार्यान्वित कर रही है, जिसमें हिन्दी एक अहम् भूमिका निभा रही है।

बोर्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच छिपी सृजनात्मक प्रतिभा को उजागर करने की दृष्टि से ई–मैगजीन के प्रकाशन का कार्य कर रहा है, प्रकाशन कार्य से जुड़े सम्पादक मण्डल एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ तथा पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएं अभिव्यक्त करता हूँ।

दिनांक: .11.2020

(हिरण्मय पाण्ड्या)
अध्यक्ष, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.

भारत सरकार
Govt. of India
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड
Dattopant Thengadi National Board fo
Workers Education & Development
उत्तरी अंबाझरी मार्ग, नागपुर 440033
North Ambazari Road, Nagpur - 440033

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 'श्रम किरण' हिन्दी पत्रिका (ई–मैगजीन) प्रकाशित करने जा रहा है।

देवनागरी में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है। हिन्दी सम्पर्क भाषा है, एक भाषा को दूसरे भाषा से जोड़ती है। यह जनमानस की भाषा है। हमारे देश में अधिक लोगों द्वारा बोली, समझी एवं पढ़ी जाती है।

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड पूरे भारत में फैले क्षेत्रीय निदेशालयों एवं उप–क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के बीच भारत सरकार की श्रमिक शिक्षा नीति को कार्यान्वित कर रहा है। श्रमिक शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में हिन्दी अहम् भूमिका निभा रही है। हिन्दी की सहायता से एक–दूसरे से अपने विचारों का आदान–प्रदान करने में भी सहजता है।

भारत सरकार भी केन्द्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी में प्रशिक्षित कराने पर विशेष बल दे रही है तथा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही है। केन्द्र सरकार के अधिकारी/कर्मचारी इसका भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। हमें दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग उत्साहपूर्वक करना चाहिए। महर्षि अरविंद ने कहा है कि "विश्व में हमारी इच्छा ही तो मूल कर्ता ह। यदि हमारे मन में हिन्दी में कामकाज करने की इच्छा एवं उत्साह है तो सरकारी कामकाज में हिन्दी का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकेंगे तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को भी आसानी से पूरा किया जा सकेगा।"

पत्रिका में समावेश किए गये लेख रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं। सम्पादक मण्डल के प्रयास सराहनीय हैं, पत्रिका के प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में सम्पादक मण्डल को बधाई व्यक्त करता हूँ तथा पत्रिका के सफल प्रकाशन की शुभकामना व्यक्त करता हूँ।

दिनांक: .11.2020

Harsh Vaidya
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक

श्रम किरण

दत्तोपंत ठेंगड़ी
राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

सम्पादक मण्डल

प्रधान संरक्षक

हिरण्मय पाण्ड्या
अध्यक्ष

संरक्षक

हर्ष वैद्य, भा.र.ले.से.
महानिदेशक

उप संरक्षक

एस. के. रॉय

प्रदीप के. मून

सम्पादक

बी.वी. रमेश बाबू
सहायक निदेशक (रा.भा.)

सह-सम्पादक

अरविंद यादव
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

सहायक

उज्वला रामटेके
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

टंकण कार्य

शीतल बी. पाटील
हिन्दी टंकक

मुख्य पृष्ठ-सजावट एवं पत्रिका की रूपरेखा

राजेश देशमुख

पत्रिका में प्रकाशित लेख एवं रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों तथा रचनाकारों के अपने हैं और उनके साथ सम्पादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह विभाग का आंतरिक प्रकाशन है।

अनुक्रमणिका

क्र.सं	विषय	लेखक / रचनाकार	पृष्ठ सं.
1.	दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड – एक परिचय	श्री विश्व प्रकाश, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय निदेशालय, इलाहाबाद	01
2.	श्रम कल्याण व्यवस्थाओं का औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव	डॉ. जी. बी. शलेराव, शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल	04
3.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) अवसर एवं चुनौतियाँ	श्री शुकदेव नारायण ओला, क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय निदेशालय, जमशेदपुर	8
4.	कैजन (Kaizen)	श्री राज किशोर गोप, शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशालय, जमशेदपुर	10
5.	व्यक्तित्व विकास	श्री एच. आर. जरीया, शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशालय, राजकोट	12
6.	जल संरक्षण	उज्वला रामटेके, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी मुख्यालय, नागपुर	14
7.	सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सम्प्रेषण	श्रीनिवासन एमुदलियार, उच्च श्रेणी लिपिक आँचलिक निदेशालय, चेन्नै	16
8.	जीवन की गुणवत्ता	संजय कुमार, शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशालय, जमशेदपुर	18
9.	बरसात	मोहन चंद सेन, शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशालय, अहमदाबाद	19
10.	हिन्दी मुहावरे	राखी पौनीकर, आशुलिपिक, मुख्यालय, नागपुर	20
	प्रगति रिपोर्ट – हिन्दी पखवाड़ा एवं संक्षिप्त रिपोर्ट		22
	जाँच बिन्दु		24-25

श्री विश्व प्रकाश,
क्षेत्रीय निदेशक,
क्षेत्रीय निदेशालय, इलाहाबाद

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड – एक परिचय

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त देश के आर्थिक विकास के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की एक संस्था बनाने की सलाह के लिए सन् 1957 में फोर्ड फाउण्डेशन समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर जुलाई 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन में गहन चर्चा की गयी। भारतीय श्रम सम्मेलन की संस्तुतियों के अनुपालन में 16.09.1958 को भारत सरकार के श्रम नियोजन एवं पुनर्वास मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया जो कि विश्व की अनूठी संस्था है जिसका स्वरूप त्रिपक्षीय है। श्रम मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 14, सितम्बर, 2015 बोर्ड का नाम बदलकर दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड किया गया। इसकी नीतियों का निर्धारण भारत सरकार, नियोक्ताओं के संगठनों, श्रम संगठन के प्रतिनिधियों तथा शैक्षणिक संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। वर्तमान में दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री हिरन्मय जे. पांड्या जी हैं। दत्तोपंत ठंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में है। इसके छः आँचलिक निदेशालय क्रमशः कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली, भोपाल, चेन्नई व गुवाहाटी में स्थित ह। इन आँचलिक निदेशालयों की देखरेख में 50 क्षेत्रीय निदेशालयों व 07 उपक्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड का कार्य बोर्ड के महानिदेशक श्री हर्ष वैद्य जी के निर्देशन में प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

बोर्ड के उद्देश्य –

- श्रमिकों के सभी वर्गों में, जिनमें ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं देशभक्ति, राष्ट्रीय अखण्डता, एकता सौहार्द, साम्प्रदायिक सहिष्णुता, धर्म निरपेक्षता तथा भारतीय होने के स्वाभिमान की भावना को मजबूत बनाना।
- श्रमिकों के सभी वर्गों को जिनमें गामीण श्रमिक एवं महिला श्रमिक भी शामिल हैं राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उनकी अभिज्ञ सहभागिता के लिये उनके उद्घोषित उद्देश्यों के अनुसार तैयार करना।
- श्रमिकों में उनके सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण की समस्याओं, परिवार के सदस्यों के प्रति उनके उत्तरदायित्यों और नागरिकों के रुप में उद्योग में श्रमिक के रुप में अपने श्रम संघ के सदस्य एवं पदाधिकारी के रुप में उनके अधिकारों और दायित्यों के प्रति और अधिक समझ का विकास करना।
- समय–समय पर देश की चुनौतियों का सामना करने हेतु सभी पहलुओं में श्रमिकों की क्षमता का विकास करना।
- अधिक प्रबुद्ध सदस्यों तथा बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों के माध्यम से शक्तिशाली एकीकृत एवं अधिक जिम्मेदार श्रमिक संघों का विकास करना तथा श्रमिक संघ आंदोलन में प्रजातांत्रिक पक्रियाओं और परम्पराओं को मजबूत करना।
- श्रमिकों को संगठन के कर्मचारियों के रुप में अधिकार देना तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बंध एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिये प्रभावी माध्यम के रुप में श्रमिकों में अपनत्व की भावना का विकास करना।
- रोजगार प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने के लिये आवश्यक ज्ञान एवं कौशल को हासिल करने एवं सतत उन्नयन के साधनों तक पहुँचने के लिये श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम–

बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन तीन स्तरों पर किया जाता है।

1. राष्ट्रीय स्तरः दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा 1970 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय श्रमिक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी। भारतीय श्रमिक शिक्षण संस्थान बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुनश्चर्या कार्यक्रम आवश्यकता के अनुसार आयोजित करता है। भारतीय श्रमिक शिक्षण संस्थान मूलरूप से बोर्ड के लिए ज्ञान केन्द्र रूप में कार्य करता है। बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय की आवश्यकता के अनुसार तैयार करने को तत्पर रहता है। साथ ही भारतीय श्रमिक शिक्षण संस्थान के पास एक व्यापक–वृहद पुस्तकालय है जो भारत वर्ष का श्रम क्षेत्र का एक उत्कृष्ट पुस्तकालय है, जहाँ श्रमिक जगत से संबधित उत्कृष्ट पुस्तकें, पत्र पत्रिकाऐं उपलब्ध रहती है जो श्रमिक जगत में कार्य करने वालों के लिए सदैव उपलब्ध है। भारतीय श्रमिक शिक्षण संस्थान बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने करने के साथ ही साथ बोर्ड के उद्देश्यों के अनुपालन में राष्ट्रीय श्रम संघों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। श्रम संघों को प्रजातांत्रिक ढंग से अच्छे से कार्य करने में समर्थ बनाने तथा वर्तमान चुनौतियों का सफलता से सामना करने के लिए तैयार करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय श्रमिक शिक्षण संस्थान करता है।

2. आँचलिक स्तरः आँचलिक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आँचलिक निदेशालयों द्वारा किया जाता है।

3. क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा क्षेत्रीय स्तर एवं इकाई स्तर (कारखाने) पर संगठित क्षेत्र के लिये निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन उद्योग की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। (45 दिवसीय)
- व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम। (21 दिवसीय)
- पुनश्चर्या कार्यक्रम। । (एक सप्ताह)
- दो–दिवसीय आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम। ।
- एक/दो/तीन–दिवसीय संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम व स्वंवित्त पोषित कार्यक्रम। (कारखाने की माँग एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाता है)।
- जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम –श्रमिकों दम्पतियों के साथ दो/चार दिवसीय कार्यक्रम।
- इकाई स्तर की कक्षा।

असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्यक्रम :

- 4 दिवसीय सशक्तीकरण शिविर। (असंगठित क्षेत्र हेतु)
- 4 दिवसीय सशक्तीकरण शिविर। (कमजोर वर्ग हेतु)
- 4 दिवसीय सशक्तीकरण शिविर। (ग्रामीण श्रमिकों हेतु)
- 2 दिवसीय विषेश कार्यक्रम (कमजोर वर्ग, असंगठित, एस.सी0/एस.टी./महिला श्रमिक हेतु/बाल श्रमिक/बाल श्रमिकों के माता पिता) हेतु।
- जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम –श्रमिक एवं उनके पति/पत्नी हेतु 2/4 दिवसीय।

- श्रम कल्याण और विकास कार्यक्रम। (दो दिवसीय)
- ग्रामीण स्तरीय मनरेगा जागरुकता कार्यक्रम।

असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र में उपर्युक्त कार्यक्रमों का आयोजन दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के आयोजन के पूर्व सर्वेक्षण कराया जाता है तथा प्रशिक्षार्थियों के आवश्यकतानुरूप कार्यक्रम में चर्चा हेतु विषयों का चयन किया जाता है।

सामान्यतया उपर्युक्त कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता, संगठन स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्य जागरूकता, परिवार कल्याण, एड्स जागरूकता, बचत, विभिन्न सामाजिक बुराइयाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन–धन योजना, अटल पेंशन योजना, श्रम योगी मान–धन योजना (पी0एम0–एस0वाई0एम0) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की जाती है एवं इन विषयों पर जानकारी देकर जागरुकता लाने का प्रयास किया जाता है।

साथ ही बोर्ड सहायता अनुदान कार्यक्रम के तहत विभिन्न श्रमिक संघों एवं स्वयंसेवी संगठनों को श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आज के इस वैश्वीकरण के प्रतिस्पर्धा युग में विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिये एवं देश की प्रगति के लिए तेजी से त्रुटिहीन एवं गुणवत्ता के साथ उत्कृष्ट कार्य करने के लिये श्रमबल को प्रशिक्षण के द्वारा तैयार करने का पुनीत कार्य कर रहा है।

बोर्ड का नाम परिवर्तन–

इसकी घोषणा तत्कालीन केन्द्रीय श्रम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारु दत्तात्रेय ने नई दिल्ली में बोर्ड के नये भवन के उदघाटन के अवसर पर (दिनांक 14 सितम्बर, 2015) (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड से दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड) किया। उक्त अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ''बोर्ड देश में श्रमिकों की जरुरतो के प्रति उत्तरदायी और उपयोगी रहा है।''

बोर्ड के नये भवन का उद्घाटन दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने किया। उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री दत्तोपंत ठेंगडी जी देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय श्रमिक नेता थे, उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिये बहुत योगदान दिया है।

साथ ही श्रीमती सुमित्रा महाजन ने बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि वे श्री ठेंगडी जी की कार्य संस्कृति से प्रेरणा लेकर कार्य करने की अपील की। (पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार)

नई चुनौतियाँ–नई दिशा–नये नामकरण के साथ–

बोर्ड के साथ पूज्य दत्तोपंत ठेंगडी जी का नाम जुडने के साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सभी पूज्य ठेंगडी जी के जीवनदर्शन–विचारों से प्रेरणा लेकर भारत वर्ष के सभी श्रमिकों (श्रमबल) को शिक्षित–प्रशिक्षित करने का कार्य पूरी तन्मयता एवं समर्पण से करने का संकल्प लें तथा अपने नये नाम को चरितार्थ करें।

डॉ.जी.बी.भोलराव, शिक्षा अधिकारी,
क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल

श्रम कल्याण व्यवस्थाओं का औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में संलग्न श्रमिकों के कल्याण की दिशा में श्रम कल्याण व्यवस्था अपने नाम के अनुरूप श्रमिकों के कल्याण के लिए व्यवस्थित कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर श्रमिकों का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक एवं विकास करने से संबंधित है। श्रम कल्याण का प्रमुख उद्देष्य है, औद्योगिक श्रमिकों को वेतन एवं कार्य की दशाऐं तथा अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक लाभ भी पहुँचाना है।

श्रमिक कल्याण कार्यों का श्रमिकों की स्थिति पर प्रमुखता से अभाव

- श्रमिकों की आर्थिक स्थिति
- श्रमिकों की मानसिक स्थिति
- श्रमिकों की शारीरिक स्थिति
- श्रमिकों की सामाजिक स्थिति

वर्तमान बदलते औद्योगिक परिदृष्य में मशीनों का महत्त्व तो बढ़ रहा है किन्तु श्रम के महत्त्व को किसी प्रकार से कम नहीं आँका जा सकता क्योंकि मशीनों का सही संचालन एवं मशीनों का सही एवं पूरा सहयोग केवल श्रमिकों पर ही निर्भर करता है।

उद्योग संस्थान में प्रगति का मानक मापदण्ड है उद्योग की उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि होना और उत्पादकता निर्भर करती है उद्योग में कार्यरत कार्यक्षम कुशल एवं संतुष्ट श्रमिकों की कार्यक्षमता वृद्धि हेतु यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि श्रमिकों के काम करने का वातावरण सुविधाजनक एवं स्वस्थप्रद हो, साथ ही कारखाने के भीतर श्रमिकों के लिये चिकित्सा सुविधा, उत्तम भोजन व्यवस्था, विश्राम तथा मनोरंजन की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा कारखाने के बाहर श्रमिकों के लिए यातायात की सुविधा, आवास की उत्तम व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाए, मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद आदि का आयोजन तथा श्रमिकों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाएं आदि व्यवस्थाओं का श्रमिकों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव होकर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप उद्योग में उच्च उत्पादक्ता एवं गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करके उद्योग की तथा श्रमिकों के जीवनस्तर में निरन्तर वृद्धि होती है।

किसी भी राष्ट्र के प्रगति के लिये असंतुष्ट श्रमिक वर्ग बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अतः इसके लिये आवश्यक है कि श्रमिकों के सार्वजनिक विकास एवं कल्याण के लिए अधिक प्रभावशाली उपाय योजनाओं की आवश्यकताएं हैं।

औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति के बारे में कहा जाए तो यहाँ श्रमिकों के वेतनमान का स्तर बहुत निम्न है। अपर्याप्त या कम मजदूरी की स्थिति में वर्तमान मँहगाई में जीवनयापन करना बहुत ही कठिनप्राय है, ऐसे में अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रमिकों को ऋण लेने की आवश्यकताऐं पड़ती हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश श्रमिकों को प्राप्त होने वाली वर्तमान मजदूरी या वेतन में जीवनयापन करना बहुत मुश्किल होता है और यह भी पाया गया कि अधिकांश श्रमिकों को जीवनावश्यक साधनों की पूर्ति हेतु अधिकतर अवसरों पर हमेशा ऋण लेने पड़ते हैं। अतः श्रमिकों के आर्थिक स्तर को सुधारने हेतु श्रमिकों के उचित वेतन मजदूरी स्तर में पर्याप्त वृद्धि हो जिससे कि श्रमिक इस बढ़ती मँहगाई में संतोषजनक ढंग से जीवन यापन कर सकें तथा निवास के लिये निःशुल्क या सस्ती दर पर उचित आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे श्रमिकों को गन्दी बस्तियों से बाहर लाया जा सके और उनके स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता में सुधार हो सके।

खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के अभाव को देखते हुए यह भी आवश्यक हो जाता है कि श्रमिकों के लिये कारखानों के पास ही अथवा उनकी बस्तियों में ही सहकारी उपभोक्ता भण्डार खाले जाऐं जहाँ उन्हें उचित मूल्य पर समस्त आवश्यक पदार्थ सरलता से प्राप्त हो सकें।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक श्रमिकों की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु यह आवश्यक है कि औद्योगिक स्तर पर श्रमिकों को वेतन या प्रदान की जाने वाली मजदूरी के अलावा कुछ ऐसी व्यवस्था या उपाय की योजना की जाए जिससे श्रमिकों की आर्थिक उन्नति के साथ ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास संभव हो सके।

औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की अनेक समस्याओं में मुख्य समस्याएं आर्थिक समस्याएं है। आर्थिक समस्याओं के परिणामस्वरूप ही श्रमिक जीवन में मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक समस्याएं निर्मित होती हैं, भारत में औद्योगिक श्रमिकों की अन्य देशों की तुलना में वेतनमान बहुत ही अपर्याप्त हैं। इस वेतनमान में अप्रत्यक्ष रूप से श्रम कल्याण व्यवस्थाओं के माध्यम से वृद्धि की जा सकती है।

औद्योगिक श्रमिकों के द्वारा अपने वेतन में आवास, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, यातायात एवं भोजन आदि व्यवस्था पर खर्च किया जाए तो यह अत्यन्त कठिन होगा। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त खर्च श्रम कल्याण व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के द्वारा बहुत कुछ हद तक कम किये जा सकते हैं। जिससे अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। समय के साथ साथ श्रम कल्याण व्यवस्था के प्रति औद्योगिक जगत में धारणाएं बदल रही हैं, वैधानिक श्रम कल्याण व्यवस्था एवं नियोक्ताओं के द्वारा स्वेच्छा से अपने श्रमिकों के कल्याण की दिशा में कार्य के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव देखे जा रहे हैं।

देश में कुछ नियोक्ताओं के द्वारा श्रम कल्याण के अंतर्गत अपने श्रमिकों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर होने वाले पूँजी निवेश को व्यय मानते हैं। किन्तु श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत लगाया जाने वाला धन वास्तव में व्यय नहीं लाभदायक विनियोग है क्योंकि श्रम कल्याण कार्यों से श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा श्रमिकों के हृदय में सेवायोजकों एवं उद्योग के प्रति अपनत्व की भावना जागृत होती है जिसका पभाव उद्योग की प्रगति में होता है।

औद्योगिक श्रम कल्याण व्यवस्था का प्रमुख उद्देष्य है श्रमिकों के वेतन पर पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करना। उद्योग में स्वास्थप्रद कार्य वातावरण निर्माण कार्य की दशाओं में पर्याप्त सुधार करना इसके साथ ही उत्तम कैन्टीन व्यवस्था द्वारा श्रमिकों को पौष्टिक पोषण आहार प्रदान करने से कार्यक्षमता में वृद्धि करना। कार्य तनाव से मुक्ति हेतु मनोरंजन व्यवस्थाएं इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि गतिविधियों से श्रमिकों के जीवन स्तर में पर्याप्त वृद्धि संभव होती है। इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों में उद्योग के प्रति अपनत्व और आत्मगौरव की भावना का विकास होता है। परिणामस्वरूप औद्योगिक प्रगति एवं देश की आर्थिक प्रगति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सुविधाओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक एवं सामाजिक लाभ पहुँचाना जिससे वह भी एक संतुष्ट, जागरूक एवं कर्त्तव्यपरायण व आत्मगौरव से औद्योगिक एवं देश के आर्थिक विकास में अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर सके।

श्रम कल्याण व्यवस्थाओं का श्रमिकों पर आर्थिक प्रभाव

- सामाजिक कुरीतियाँ एवं बुरी आदतों से छुटकारा

श्रम कल्याण व्यवस्था के माध्यम से औद्योगिक व्यवस्थाएं, श्रमिकों को स्वास्थय, मनोरंजन, बुरी आदतां से छुटकारा दिलाने हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्यस्थल पर उत्तम वातावरण आदि व्यवस्थाओं से तनाव में कमी शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता आदि के द्वारा श्रमिकों को सामाजिक कुरीतियाँ एवं बुरी आदतें जैसे मद्यपान, धूम्रपान आदि से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इन फिजूलखर्चों पर नियंत्रण से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और एक खुशहाल जीवन जीने के लिये श्रमिकों को प्रेरित करता है।

- बच्चों को उत्तम शिक्षा

श्रम कल्याण व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों के लिये उद्योग संस्थान द्वारा स्कूल संचालित किये जाते हैं या बच्चों हेतु शिक्षा में सहायता हेतु कई योजनाऐं क्रियान्वित की जाती हैं, तो इन व्यवस्था के द्वारा श्रमिकों के वेतन पर अधिक भार न पड़े जिससे बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

- स्वास्थयप्रद आवासीय वातावरण

उद्योग संस्थान द्वारा अपने श्रमिकों के लिए आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है। जिसके माध्यम से श्रमिकों को उत्तम, सुविधायुक्त, स्वास्थ्यवर्धक आवासीय वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे श्रमिकों के वेतन पर अधिक भार पड़े बिना स्वच्छ सुविधायुक्त वातावरण में निवास की सुविधा उपलब्ध होती है, जो उनको अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ होता है और बचत राशि का श्रमिकों के द्वारा अपने बच्चों की तथा परिवार की अन्य आवश्यक जरूरतों पर व्यय करके उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने में सहायता होती है।

- साहूकारों से छुटकारा

श्रम कल्याण के माध्यम से संचालित विभिन्न समितियों के द्वारा सस्ते दामों पर उपयोगी वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं उचित दामों पर प्राप्त होती हैं तथा श्रमिकों को केन्द्रीय को–ऑपरेटिव्ह समितियों के माध्यम से आवश्यकता के आधार पर कम ब्याज पर आसान ऋण सुविधाएं उपलब्ध होता है तो साहूकारों से अधिक ब्याज पर ऋण लेने की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी। जिससे श्रमिकों को साहूकारों से छुटकारा दिलाने में श्रम कल्याण व्यवस्था सहायक सिद्ध होगी।

- परिवार के सदस्यों को व्यवसायिक प्रशिक्षण

श्रम कल्याण व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग द्वारा या श्रम संघों द्वारा श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को तथा बेकारी में स्वयं श्रमिकों को स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने चाहिये। स्वराजगार प्रशिक्षणों के माध्यम से उनके परिवार के सदस्य विभिन्न घरेलू स्वरोजगार का कार्य कर सकते हैं, जिससे श्रमिकों के परिवार में आय का स्रात बढ़ाने में तथा उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

- सामाजिक प्रतिष्ठा

श्रम कल्याण व्यवस्था के माध्यम से औद्योगिक श्रमिक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। साथ ही साथ बुरी आदतों से एवं साहूकारों से छुटकारा दिखाई देता है। इस प्रकार श्रमिकों के पारिवारिक एवं कार्य जीवन की गुणवत्ता में सतत् वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप उद्योग की उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि होती है।

श्रम कल्याण कार्यों की व्यवस्था का श्रमिकों पर आर्थिक प्रभाव तो डालती ही है साथ ही उद्योग की आर्थिक प्रगति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे उद्योग में संचालित श्रम कल्याण कार्यों की व्यवस्था श्रमिकों को यह महसूस कराती है कि वे जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं उसमं उनका भी हित बंधा हुआ मिलता है एवं अच्छी आदतों का निर्माण श्रमिकों में होता है। परिणामस्वरूप जीवनस्तर में निरन्तर सुधार होता है, श्रमिक सामाजिक क्रियाकलापों में भी समय दे पाते हैं और एक समाज का जागरूक व्यक्ति के नाते उसकी पहचान बनती है, जो उसके लिए तथा उसके परिवार के लिए प्रतिष्ठा दिलाती है। अपने अच्छा व्यवहार एवं आदतों के कारणों से उनके अपने पड़ासियों से भी मधुर संबंध विकसित होते हैं, जो कि उसके एकाकी जीवन को दूर करता है और सामाजिक सुरक्षा दिलाने में सहायक सिद्ध होता है।

- श्रमिकों के पारिवारिक एवं कार्य जीवन में गुणवत्ता

श्रम कल्याण व्यवस्था के माध्यम से बनाये जा रहे विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों के आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है तथ उसके जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। कार्यस्थल पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण, मनोरंजन, शिक्षा तथा चिकित्सा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा तथा उचित आवास व्यवस्था, रोजगार में सुरक्षित वातावरण, निरन्तर व्यवसायिक कौशल विकास में उत्पादन क्षमता में वृद्धि, भविष्य के प्रति निश्चितता आदि का सुखद प्रभाव उसके पारिवारिक जीवन पर पड़ता है और परिणामस्वरूप उसकी कार्यक्षमता वृद्धि में भी इसका प्रभाव होता है। और इसलिए उनकी ओर से कोई असावधानी का कार्य, जो संस्था के हित के विपरीत है, स्वयं उनके हित पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसी भावना का विकास उद्योग में 'श्रम और पूँजी' के बीच छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवादों के मौकों को कम से कम करने में मदद देता है। इस प्रकार उत्पादन में सभी तरह से वृद्धि करना संभव होता है।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि देश में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों में अकुशलता स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जाती है। वास्तव में श्रमिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिय बहुत ही कम प्रयास किये गए हैं। नियोक्ताओं के यह हित में होगा कि वे ऐसे उपायों के महत्त्व तथा इनसे मिलने वाले लाभों को समझें और महसूस करें कि इनके कार्यों पर जो रकम वो खर्च करेंगे वह एक मूल्यवान विनियोग है, जिसका अंत में लाभ उन्हें ही उद्योग के प्रगति के रूप में मिलना है। विद्वानों का यह मत है कि सेवानियोजकों के द्वारा श्रम कल्याण कार्यों का प्रयोग श्रमिक संघों के असर को घटाने और श्रमिकों को दबाव में रखने का एक आसान उपाय है, इस प्रकार की भावना दोनों पक्षों पर अकल्याणकारी साबित होती है।

अतः अधिक से अधिक लाभ के लिये श्रम कल्याण व्यवस्था सही भावना से अर्थात् खास तौर से श्रमिकों के जीवन को ज्यादा आरामदायक और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से किये जाने की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप उद्योग की उत्पादकता और राष्ट्र के प्रगति में निरन्तर वृद्धि संभव होती है।

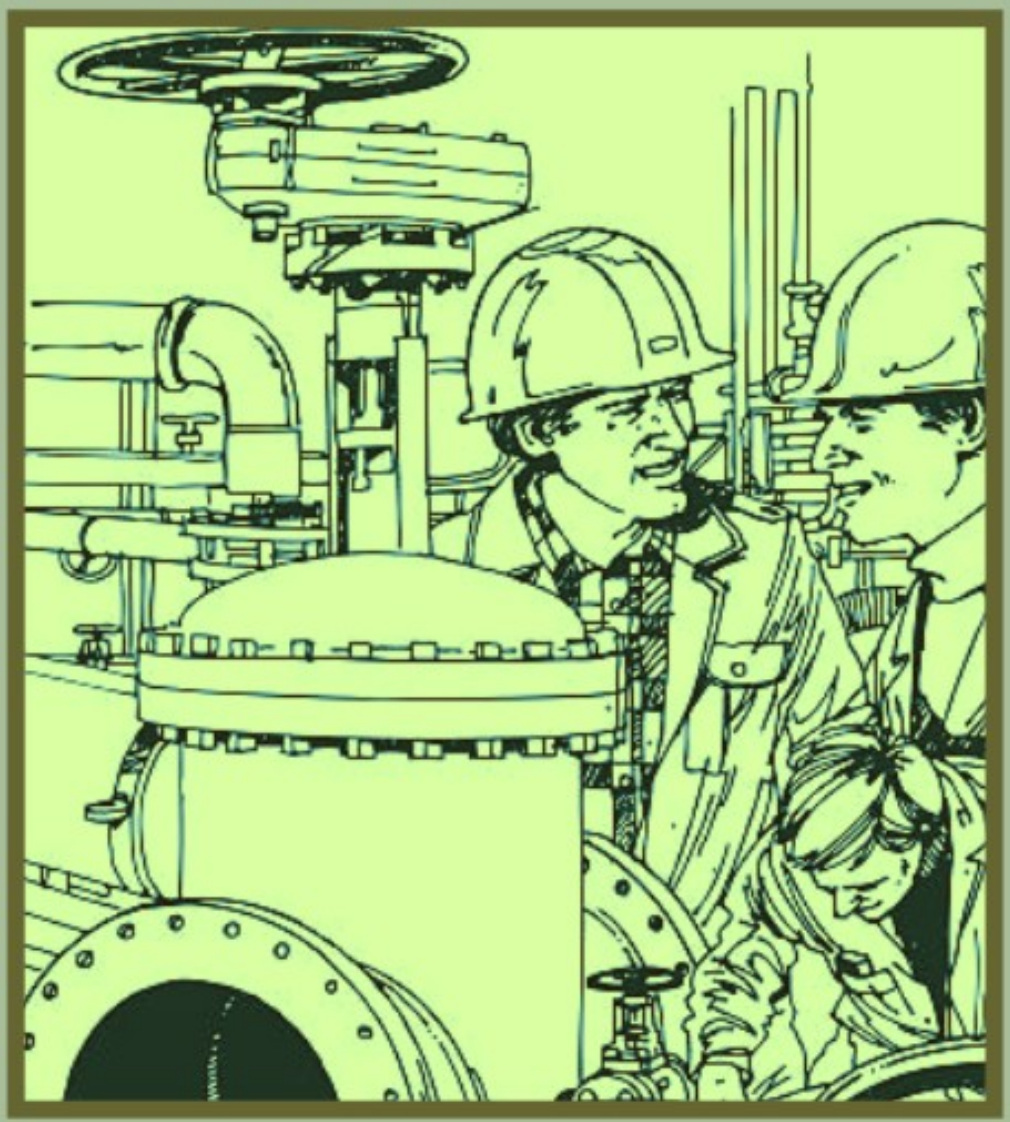

श्री शुकदेव नारायण ओझा,
क्षेत्रीय निदेशक,
क्षेत्रीय निदेशालय, जमशेदपुर

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) अवसर एवं चुनौतियाँ

कृत्रिम बुद्धिमत्ताः यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से सॉफ्टवेअर डाटा का उपयोग कर मानव के स्थान पर रोबोट के द्वारा काम कराया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग 1950 में सूचना तकनीक में किया गया। इसका उपयोग 1950 में सूचना तकनीक में किया गया। इसका उपयोग रोबोट को विकसित करने में महत्वपूर्ण रूप से किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योग, सरकार एवं समाज के लिए बहुत अवसर एवं चुनौतियाँ लेकर आया है।

अवसरः कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे मानवीय सीमाओं को बढाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपार अवसर लाती है। जिसका प्रयोग विनिर्माण क्षेत्र, कानून, मेडिसीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी कार्य, कृषि, व्यापार, जनता की सेवा और साइबर क्राइम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शिक्षाः शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर शिक्षकों की प्रभावशीलता एवं विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाया जा सकता हैं। इस तकनीक का उपयोग कर शिक्षा में गेम के माध्यम से विषयवस्तु को सरल एवं दिलचस्प बनाने में मदद मिलता है। विश्वविद्यालयों में श्रव्य यंत्र के माध्यम से सामान्य प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराया जाता है। जिससे बच्चों को विषयवस्तु को समझने में और भी सहायता मिलती है। शिक्षकों को भी इस तकनीक के माध्यम से बच्चों को ग्रेडिंग करने एवं उनके व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर देने में मददगार साबित होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शोध एवं खोजकर नई उपलब्धियों को भी हासिल किया जाता है।

भारत में प्रति हजार शिक्षकों की संख्या विकसित राष्ट्र की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे ब्रिटेन का उदाहरण लिया जाय तो इसकी तुलना में भारत में प्रति हजार शिक्षण आधा है (2.4 प्रति हजार भारत एवं 6.3 प्रति हजार ब्रिटेन) कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपभोग कर हम अधिक से अधिक छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचा सकते हैं।

स्वास्थ्यः कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपभोग कर सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जा सकता हैं। भारत में 0. 8 प्रति हजार डॉक्टर मरीज का अनुपात है। (ब्रिटेन में 2.8 प्रति हजार, आस्ट्रेलिया में 5 प्रति हजार, चाइना में 4 प्रति हजार) भारत में प्रति हजार डॉक्टर का अनुपात कम होने के कारण भारतीय डॉक्टर पर काफी बोझ है। यहां के डॉक्टर प्रति मरीज केवल 2 मिनट समय दे पाते हैं जबकि अमेरिका का डॉक्टर प्रति मरीज औसतन 20 मिनट सुविधा प्रदान करने में सहयोगी होगा।

कृषिः कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि के पैदावाद को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। मौसम की भविष्यवाणी फसलों के संभावित बिमारियों एवं उसका उचित निदान कर कृषि में होने वाली हानियों को रोका जा सकता है।

भारत में खेती की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर चाइना एवं ब्रिटेन की तुलना में आधा हेक्टेयर (चाइना एवं ब्रिटेन) यह दर्शाता है कि भारत में किट एवं किटनाशक के कारण कृषि ऊपज कम होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोगकर हम अपने कृषि उपज को बढ़ा सकते हैं।

चुनौतियाँः कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग ब्लैक बॉक्स आधारित प्रणाली पर किया जाता है। इसमें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होता कि यह कार्य क्यों किया जा रहा है। जिससे कोई भी किए जा रहे निर्णय पर शंका व्यक्त किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपभोग से हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर की कमी होती जाएगी एवं भारत जैसे देश में मानव के जगह पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग से रोजगार के अवसर कम होंगे जिससे समाज में पढ़े लिखे लोगों की एक फौज खड़ी हो जाएगी, जिसका प्रभाव भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

निष्कर्षः कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोगकर हम हर क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं तलास सकते हैं तथा इसके माध्यम से हमारे अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होने में कोई शक नहीं है। इस पर आधारित व्यवस्था के माध्यम से "गरीबी का खात्मा" एवं "शून्य भूखमरी" को हासिल किया जा सकता है। इस व्यवस्था पर आधारित तंत्र के माध्यम से समान का उचित बंटवारा, मौसम की भविष्यवाणी फसलों के संभावित बिमारियों एवं उसका उचित निदान किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोगकर ऊर्जा की मांग एवं उसकी उपयोगिता सुनिश्चितकर गरीबी एवं भूखमरी को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। इसके साथ–साथ आम जनता तक शुद्ध पानी, सफाई और सस्ती ऊर्जा पहुंचायी जा सकती हैं। हम इससे इंकार नहीं कर सकते हैं कि इसके उपयोग से बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। मगर सकारात्मक सोच से देखें तो इस क्षेत्र में कुछ रोजगार भी बढेंगे एवं 100 में से 40 काम ही केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संभव हैं बाकी काम हमारे मानव जाति के सहयोग से ही संभव है। यह निश्चित है कि 21वीं सदी में यह हमारे लिए एक नई खोज है जो मानव के लिए सहयोगी बनकर हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मददगार साबित होगा।

श्री राज किशोर गोप,
शिक्षा अधिकारी,
क्षेत्रीय निदेशालय, जमशेदपुर

कैजन (Kaizen)

कैजन का तात्पर्य : 'सुधार', कैजन रणनीति कभी न समाप्त होने वाले सुधार सम्बन्धी प्रयास हैं जिसमें प्रबंध एवं कर्मचारी सभी एक समान रूप से सम्मिलित होते हैं।

कैजन एवं प्रबंधन

1. रखरखाव
2. सुधार

रख–रखाव कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

- वर्तमान मानकों में सतत रूप से संशोधन करना।
- सुधार प्रक्रिया को दो भागों में बाँटा जा सकता है।

i) नवाचार

ii) कैजन

- नवाचार से तात्पर्य है वर्तमान प्रक्रियाओं में कठोर सुधार जिसके लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है।
- कैजन से तात्पर्य है सभी कर्मचारियों के समन्वित एवं सतत प्रयास के फलस्वरूप अल्प सुधार की आवश्यकता होती है।

'कैजन' का यदि शाब्दिक स्तर पर संधि–विच्छेद किया जाए तो इसे इस रूप में समझा जा सकता है।

कै (KAI) का तात्पर्य है – परिवर्तन (Change)

जन (ZEN) का तात्पर्य है – अच्छे के लिए (For the better)

मुख्यतः कैजन अल्प सुधार के लिए होता है पर यह एक सतत प्रयास के रूप में अपनाया जाता है, जिसमें संगठन के सभी लोग शामिल होते हैं। कैजन नवाचार के बिल्कुल ही विपरीत होता है जिसके लिए किसी निवेश (या थोड़े निवेश) की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सिद्धांत है कि – अल्प सुधारों की एक बड़ी संख्या किसी संगठन में बृहत् सुधारों की कुछ संख्या की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। कैजन का मुख्य उद्देश्य है हमारी दक्षता को प्रभावित करने वाले नुकसान को कम करना। हम एक विस्तृत एवं संपूर्ण प्रक्रिया का उपयोग कर नुकसानों को कैजन के कई उपकरणों की मदद से समाप्त कर सकते हैं।

इन क्रिया–कलापों का उपयोग केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि प्रशासकीय क्षेत्रों में भी किया जाता है।

कैजन नीति (Kaizen Policy)

कैजन जिन सिद्धान्तों पर कार्य करता है वे निम्नलिखित हैं –

- क्रिया–कलापों के सभी क्षेत्रों में शून्य–त्रुटि की संकल्पना के आधार पर कार्य करना।
- सभी संसाधनों में लागत खर्च में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- संयंत्र के सभी उपकरणों की प्रभावशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- नुकसान को समाप्त करने के लिए व्यापक रूप से प्रयत्नशील रहना।
- ऑपरेटर का सरलतापूर्वक नियंत्रण करना।

कैजन लक्ष्य **(Kaizen Targets)**

- शून्य–त्रुटि को प्राप्त कर उस हमेशा कायम रखना।
- निर्माण–प्रक्रिया की लागत खर्च में 30 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य प्राप्त करना।

कैजन उपकरण **(Kaizen Tools)**

- पी.एम. विश्लेषण (PM Analysis)
- Why-Why विश्लेषण (Why-Why Analysis)
- नुकसानों का सारांश (Summary of Losses)
- कैजन रजिस्टर (Kaizen Register)
- कैजन सारांश–पत्र (Kaizen Summary Sheet)

कैजन के फायदे **(Advantage of Kaizen)**

कैजन के निम्नलिखित फायदे हैं–

- कैजन इन सभी क्षेत्रों में बरबादी को कम करता है– इन्वेन्ट्री, प्रतीक्षा समय, परिवहन, कर्मचारी कौशल आदि।
- कैजन क्षेत्र की उपयुक्तता में सुधार करता है, जिसके अंतर्गत उत्पाद गुणवत्ता, पूँजी का उपयोग, संचार, उत्पादन क्षमता एवं कर्मचारी अवधारणा आते हैं।
- कैजन शीघ्र परिणाम देता है– अधिक पूँजी निवेश वाले सुधार कार्यों पर ध्यान देने के बजाए कैजन रचनात्मक निवेशों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, जो छोटी समस्याओं की एक बड़ी संख्या का समाधान करते हैं। कैजन की वास्तविक शक्ति है कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो छोटे–छोटे सुधारों को नियमित अंतराल में करते रहते हैं जो प्रक्रियाओं में सुधार लाता है एवं नुकसान को कम करता है।

कैजन की सतत प्रक्रिया को कायम रखने के लिए कई सारी पद्धतियाँ हैं जो निम्न हैं–

- नेतृत्व एवं प्रबंधन की प्रतिबद्धता : उद्देश्यों की प्राप्ति में नियतता।
- कुल ग्राहक संतुष्टि : कोई किन्तु/परंतु जैसे शब्द नहीं।
- दीर्घकालीन प्रयास : फायदे की जल्दबाजी नहीं।
- सामूहिक कार्य एवं भागीदारी : कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं एवं ग्राहकों के मध्य संबंध।
- कर्मचारियों की भागीदारी एवं संतुष्टि : विविधता एवं सशक्तीकरण।
- प्रशिक्षण की अनिवार्यता : उच्च पदों के कर्मचारी से लेकर निम्न पद के कर्मचारियों तक सभी के लिए प्रगति की सांख्यिकी माप।
- सतत गुणवत्ता सुधार : एक कभी न समाप्त होने वाली यात्रा।
- समूह में सर्वश्रेष्ठ के लिए एक मानक स्तर का मानकीकरण।
- कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं एवं ग्राहकों के बीच कुल एवं मुक्त संचार।

श्री एच. आर. जरीया,
शिक्षा अधिकारी,
क्षेत्रीय निदेशालय, राजकोट

व्यक्तित्व विकास

हर एक इंसान एक पत्थर की तरह है जिसमें एक सुन्दर मूर्ति छिपी होती है, जिसे सिर्फ एक अच्छे शिल्पी की आँख ही देख पाती है। वह शिल्पी उसे तराशकर एक सुन्दर मूर्ति में बदल सकता है, क्योंकि मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में मौजूद होती है। शिल्पी तो बस उस फालतू पत्थर को एक तरफ कर देता है और सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। माता–पिता, शिक्षक और समाज किसी भी इंसान को इसी प्रकार सँवार कर खूबसूरती प्रदान करते हैं।

हर एक व्यक्ति की मनोकामना होती है कि वह भी अन्य महान मनुष्यों के समान बने परंतु, वास्तविक जीवन में देखा गया है कि सभी को इसका लाभा नहीं मिलता। सपने देखना सदैव अच्छा लगता है किंतु सभी सपन सच नहीं होते और सभी के पास इतनी शक्ति भी नहीं होती। कहते हैं कि परिश्रम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। जहाँ चाह, वहाँ राह, जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोशिशों के बिना सब कुछ व्यर्थ है।

अकसर यह कहा जाता है कि व्यक्ति के विकास में परिवार का घर के संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः हमारे पास उत्कृष्ट मिसाल है कि संपत्ति की विरासत के स्थान पर संस्कार और सदगुण की विरासत श्रेष्ठ है। बच्चे को अच्छे विचार और संस्कार अपने घर से मिलते हैं। जिसमें उसके अच्छे शिक्षक अच्छे संस्कार देते हैं। यह बात सच है यद्यपि माता–पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा उदाहरण हमारे पास है कि एक माता और उसका छोटा पुत्र साथ में रहते थे। एक दिन छोटा बच्चा कोई चीज बाहर से चोरी करके घर में लाता है। माता ने अपने छोटे से बालक के इस व्यवहार के प्रति ध्यान न देकर उसे कुछ भी कहा नहीं। समय के साथ छोटे बालक की यह चेष्टा बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि बालक चोरी करते हुए पकड़ा गया और फिर क्या हुआ होगा वह हम सब जानते हैं। बालक को उसकी माता जेल में मिलने पहुंची। बालक ने माता से मिलने पर उसके गाल पर जोर से तमाचा मारा। बालक को माता ने पूछा कि मैं तो तुमसे मिलने आई हूं फिर तुमने तमाचा क्यों मारा? उस छोटे बालक ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि, जब मैंने पहली बार चोरी कि तब अगर तुमने मुझे जोर से तमाचा मारा होता तो आज मैं जेल में नहीं होता। यह उदाहरण काफी कुछ संदेश देता है। बालक को कैसे संस्कार देना वह माता–पिता के हाथ में है। व्यक्ति के विकास का आधार उसके घर के संस्कार और वातावरण है। इसलिए संपत्ति की विरासत के बजाय घर के संस्कारों की विरासत को श्रेष्ठ माना गया है।

इसी तरह व्यक्ति के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष धीरज, सहनशीलता का है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार के प्रति गंभीर हो, पुख्त हो उसमें यह गुण पाया जाता है। वह कोई भी कार्य आतुरता से नहीं बल्कि धैर्य से समय की परवाह किये बिना करता है। सबको शांति से सुनेगा और कभी–कभी ऐसे धैर्यवान व्यक्ति की धीरज, सहनशीलता अनंत होने के कारण सामनेवाला व्यक्ति अपना धैर्य खो देता है, उत्सुकता वश न करने का कार्य कर बैठता है और अंत में निष्फल होता है। अतः कहा गया है कि स्थितप्रज्ञ जैसी स्थिति– धीरज, सहनशीलता जिसमें देखी जाती हो वह व्यक्ति सदैव सफल होता है, प्रगति के रास्ते पर होता है।

अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, विकास के लिए व्यक्ति को लक्ष्य–ध्येय निश्चित करना होगा। सबसे पहले वह क्या बनना चाहता है और इसकी पूर्ति के लिए कौन–कौन सी आवश्यकताएं है उसके बारे में विचार करना चाहिए। एक बार लक्ष्य निर्धारित होने पर समस्याएं अपने आप अवसर में बदल जायेगी। इसको दूसरों शब्दों में इस तरह कहा जा सकता है कि, दिशा निश्चित होने पर उसके अनुसार रास्ते मिलते जायेंगे। उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद से रवाना हुई नवजोवन एक्सप्रेस चैन्नई जायेगी। इस ट्रेन का चलने का और स्टेशन पहुंचने का समय तय है, जिसने अहमदाबाद से चैन्नई तक टिकट लिया है उसे ट्रेन में कोई भी समस्या हो, बीच में अकस्मात के कारण रास्ता बंद हो तो भी दूसरे रास्ते ट्रेन को मोड़कर चैन्नई पहुंचाती है। रेलवे विभाग में कोई भी ट्रेन कही भी जाये ऐसा होता नहीं है उसका गंतव्य स्थान हमेशा निश्चित होता है। ध्येय निश्चित न हो तो दिशा नहीं मिलती।

इसीलिए तो कहा जाता है कि बिना ध्येय का जीवन बिना पते की डाक जैसा है। डाक मैं अगर पता लिखा ही न हो तो और किसने भेजी है उसका ब्यौरा भी न हो ता वह डाक मृत डाक बॉक्स में जमा होती है। जिसका कोई अर्थ नहीं है। समय और पैसा दोनों व्यय होता है पर उसका परिणाम नहीं मिलता। अतः लक्ष्य–ध्येय निश्चित हो जाय फिर प्रगति, विकास और महान बनने के लिए समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। अतः कार्य सदैव उत्साह के साथ करना चाहिए। कोई भी कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए निर्णय लेने कि क्षमता को दृढ़ बनाना चाहिए। कई बार व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने की शक्ति–सामर्थ्य न होने के कारण उसकी प्रगति रूक जाती है और अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

कई बार हम देखते हैं कि जिसमे से कुछ मिलनेवाला ही नही है व्यक्ति उसी में अपना समय व्यर्थ बरबाद करता है। जीवन में जो मुमकीन ही नहीं है वह मुमकीन बनाने की कोशिश करता है, तब दोनों तरफ से नुकसान की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः कहा गया है कि, नामुमकीन वस्तु के पीछे भागने से मुमकीन वस्तु भी खो जाती है। रेगिस्तान में दिखता मृगतृष्णा इसका उत्तम उदाहरण है।

इसीलिए सब मानते हैं कि यदि हम निष्ठापूर्ण काम करेंगे तो नाम और दाम दोनों आपके पीछे दौड़ते आयेगें। व्यक्ति विकास में प्रमाणिकता, वफादारी, समयबद्धता, अनुशासन आदि महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की सफलता और निष्फलता का आधार इन्ही सभी बाँतों पर है।

अंत में व्यक्ति विकास में सबसे महत्व की बात 'विनम्रता' है। व्यक्ति महान बनने के साथ उसके जीवन में महानता के साथ 'अहम–अभिमान' आ जाये तो उसका अभी तक का किया हुआ सब कुछ पानी में गया, ऐसा कहा गया है वह सत्य होता है। व्यक्ति की प्रगति–विकास हो तब जीवन में अहम् की बजाय विनम्रता लाने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जब आम के वृक्ष पर आम का फल आ जाता है तब उसकी सभी शाखाएं नीचे की ओर झूक जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में विनम्रता हो तो उसका व्यक्तित्व उभर जाता है। एक अच्छा वाक्य है कि, 'कौशल सदैव विनम्रता के लिबास मैं अच्छा लगता है, न कि अभिमान के सूट–बूट में'।

अतः व्यक्तित्व विकास में यदि हमें सफल होना है तो सफलता को समझो, सफलता के लिए ध्येय निश्चित करें, यदि हम इतना कर सकें तो व्यक्तित्व विकास या व्यक्ति की सफलता को दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। एक दिन आप अवश्य सफल होंगे।

उज्वला रामटेके,
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,
मुख्यालय, नागपुर

"जल है तो, कल है"

जैसा कि आप सभी को विहित है, जल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, जल है तो जीवन है, जल, सभी जीव–जंतु, जानवर, पेड़–पौधे, मानव के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जल के बिना जीवन असंभव है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़, पौधे का वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि आनेवाली पीढ़ी को पर्याप्त मात्रा में जल मिलता रहे।

जल को हमेशा सँभालकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। दिन की शुरुआत से ही हमें जल की आवश्यकता रहती है और इसलिए जल की बचत करके ही जल बचाया जा सकता है। जल को कभी भी अनावश्यक रूप से फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इस जल को पेड़, पौधें में डाल देना चाहिए, ताकि जल का उपयोग सही रूप से हो सके।

जल संरक्षण और संवर्धन भी करना चाहिए। भारत सरकार ने जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए हैं। हमें भी एक नागरिक के रूप में निम्नानुसार, जल का संरक्षण, बचाव करना चाहिए:–

1) घर तथा कार्यालय में लिकेज नल की मरम्मत करें ताकि पानी का अपव्यय ना हो, यदि नल लिकेज है, तो उसे मरम्मत करें और यदि मरम्मत ना हो सके तो उस नल के नीचे बाल्टी रख दें ताकि वह पानी अपनी दैनंदिन प्रयोग में लाया जा सके।

2) पानी का कम अवशोषण वाले ही पेड़, पौधे ज्यादा मात्रा में लगाएं।

3) पूरे बर्तन माँजने के बाद ही सिंक का नल चालू करें।

4) प्रतिदिन जमा या संग्रहित किए गए पानी को फेकें नहीं बल्कि उस पानी का पूरा उपयोग करना चाहिए।

5) अपव्यय हो रहे अमूल्य पानी के खिलाफ आवाज उठाइये या स्वयं से अपव्यय हो रहे पानी को रोकने की कोशिश करें।

6) रेन वॉटर– हार्वेस्टिंग की संकल्पना को अमल में लाने हेतु लोगों को जागरूक तथा प्रोत्साहित करें।

7) जल संरक्षण, संवर्धन के महत्व के बारे में बच्चों को भी शिक्षित करें, उन्हें पानी के महत्व के बारे में भी बताएं।

8) वाष्पीकरण को कम करने के लिए, अपने घर, आंगन में तथा कार्यालय में पौधों और रोपों और वनस्पति को सुबह या शाम के समय में ही हमेशा पानी देने की व्यवस्था करें।

9) पौधों के आस–पास हमेशा घास–फूस रखने से मिट्टी में नमी रहती है और पानी भी जमा रहता है।

10) बाथरूम का शॉवर कम से कम समय या पांच मिनट तक ही प्रयोग में लाएं।

11) टॉयलेट में छोटे साइज की फ्लश टैंक लगाएं।

12) कार या किसी भी प्रकार का वाहन धोने हेतु रबर–पाइप का इस्तेमाल करने के बजाय बाल्टी और स्पंज का इस्तेमाल करें।

13) बिजली की बचत करने वाली वॉशिंग मशीन प्रयोग में लाएं तथा मशीन की आवश्यकता और क्षमतानुसार ही कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालें।

14) हाथ को साबुन लगाने के बाद तथा ब्रश करने के बाद ही नल चालू करें।

15) पेड़, पौधे, या आंगन में रबर पाईप से पानी नहीं दें बल्कि बाल्टी भरकर भरने के बाद बाल्टी से ही पानी डालें।

इसी तरह, उपर्युक्त बनाए गए सुझाव के अनुसार पानी का प्रयोग या इस्तेमाल करने से पानी की बचत हो जाएगी और आनेवाली पीढ़ी पानी के लिए नहीं तरसेगी।

"जल है तो, कल है
जल है तो, जीवन है"

श्रीनिवासन ए. एम.,
उच्च श्रेणी लिपिक,
आँचलिक निदेशालय, चेन्नै

सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सम्प्रेषण

मनुष्य के लिए एक छोटा कदम, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है जो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था जब उन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। यह वह दिन है जिससे हम इतने दूर आ गए हैं कि आज अंतरिक्ष में आँखें और कान हैं।

एक पहिये का अविष्कार करने से तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि हम घर से बाहर कदम रखे बिना भी दूर की जमीनों का आनंद ले रहे हैं। दुनिया के सभी ज्ञान हमारे हाथ में रखे डिवाइस में हैं जिन्हें स्मार्टफोन कहा जाता है।

मानव जाति के लिए तकनीक का क्या उद्देश्य है? विज्ञान प्रकृति के कामकाज के विवरण को समझाने का एक तरीका है लेकिन क्या हम वास्तव में इसे समझते हैं?

विज्ञान मनुष्य को अधिक समझने वाला, जीवन को थोड़ा आसान बनाने वाला था, और अब जब हमें प्रकृति और उसके कार्य सिद्धांत की बहुत कम समझ है, लेकिन हमने इस बात की अनदेखी करने की आदत विकसित कर ली है कि वास्तव में इंसानों के लिए क्या मायने थे?

मनुष्य जैसा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए हर युग में एक–दूसरे के साथ जुड़ने का एक अलग तरीका देखा गया है। धावक से लेकर घोड़ा सवार संदेशवाहक से लेकर पोस्टमैन तक टेलीग्राफ से लेकर टेलीफोन तक सोशल मीडिया पर एसएमएस किया जाता है। यह वह जगह है जहाँ हम आज खड़े हैं। हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो सोशल मीडिया में एक–दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जुड़े हुए हैं?

मैं ना कहना पसंद करूंगा। आजकल अपने सिर को झुकाना और अपने स्मार्ट फोन पर चैटिंग/ ब्राउजिंग करना एक आदत बन गई है। मैं यहाँ एक घटना की शुरूआत करूंगा। कुछ दिन पहले मैंने काम के घंटों के बाद अपना कार्यालय छोड़ दिया और अपने नियमित ट्रेन पकड़ने के लिए पास के रेलवे स्टेशन पर गया। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन 10 मिनट लेट है, इसलिए तुरंत मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना फोन बाहर निकाल दिया और अपने दोस्तों से व्हाट्सअप में चैट करना शुरू कर दिया। मैं अपने ट्रेनों के मित्र समूह में चैट कर रहा था और हम एक–दूसरे को अपने स्थानों की जानकारी दे रहे थे और अगली कनेक्टिंग ट्रेन का शेड्यूल प्राप्त कर रहे थे। ऐसा करने समय मेरा एक सहयात्री मेरे आर उसी प्लेटफॉर्म के स्टेशन में था। कॉल करने और मिलने के बजाय हम समूह चैट में इतने अधिक शामिल थे कि हम एक ही स्टेशन पर मिलने और एक ही ट्रेन को एक ही कोच में पकड़ने की जहमत नहीं उठाते थे लेकिन हम समूह में बातचीत करते रहे। हालाँकि जब हम कनेक्टिंग ट्रेन में मिले तो हम सभी एक–दूसरे से मिले, ट्रेन में सवार हुए लेकिन फिर से वही काम शुरू हुआ। हम सभी अपने स्मार्टफोन में शामिल हो गए और अब हम सभी कुछ अन्य समूहों में चैट कर रहे थे। हम एक–दूसरे के बगल में एक ही कोच में शारीरिक रूप से मौजूद थे लेकिन एक आभासी दुनिया में अलग थे।

फेसबुक ने लोगों के जीवन को किस तरह से बदल दिया है, यह उसके अनुयायियों द्वारा जाना जा सकता है। यहाँ मैं एक और वास्तविक घटना के साथ फेसबुक के सकारात्मक पक्ष को प्रदर्शित करना चाहता हूं। मैं अपनी नौकरी और पारिवारिक जीवन में बस गया था और अपने दिन– प्रतिदिन की गतिविधियों में इतना शामिल था कि मैं अपने बचपन को पूरी तरह से भूल गया था। फेसबुक पर एक दिन ब्राउज करते समय एक मित्र का सुझाव आया जो मेरे एक स्कूल मित्र का था। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी और स्वीकृति का इंतजार कर रहा

था। एक–दूसरे से जुड़ने के बाद हमने कुछ पुरानी यादों का आदान–प्रदान किया। मैं खुश था। मेरा एक दोस्त और मेरा बचपन जो लंबे समय से खोया हुआ था, मिल गया। यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का पद था। मैं अपने दोस्त के साथ लगभग 18 साल या इतने लंबे अंतराल के बाद जुड़ा। फिर उसके माध्यम से मैं ऐसे अन्य दोस्तों के साथ जुड़ और आज हम एक–दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। हमें हाल ही में स्कूल से विदाई की सिल्वर जुबली जश्न मनाया। यह संजोने का क्षण था। 25 साल के अलगाव के बाद सभी पुराने दोस्तों से मिलने की एक प्यारी याद।

यह एक खुशी का क्षण था लेकिन साथ ही दुखद बातें भी हैं, वही फेसबुक पर ऐसे लोगों के पोस्ट हैं जो अपनी प्रोफाइल को नकली करते हैं। जो नकली संदेश भेजते हैं। अन्य उपयोगकर्ताओं को परेशान करने के लिए गलत संदेश भेजते हैं। जो कई बार बहुत तकलीफदेह होता हैं।

सोशल मीडिया तकनीक का एक हिस्सा है, जो एक–दूसरे से जुड़ने के लिए था, लेकिन वास्तविक दुनिया से अलग करने के लिए एक उपकरण बन गया है। यू–ट्यूब में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि चलते समय या सेल्फी लेते समय स्मार्टफोन के इस्तेमाल के कारण लोग कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। क्या यह वह दुनिया है जो मनुष्य चाहते हैं या एक वास्तविक दुनिया है जहां लोग एक–दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वास्तविक संबंध? गाँवों में लोग शाम को एक स्थान पर मिलते हैं और अपने पारिवारिक मामलों और अपने गाँव से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आजकल लोगों के पास आपस में बातचीत करने का समय नहीं है। ऐसे बहुत से तरीके हैं कि लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक–दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मानव से मानव संपर्क पूरी तरह से कम हो गया है। आज अधिकांश परिवार के सदस्य घर में रहते हुए अपने स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और एक–दूसरे से सीधे बात नहीं करते हैं। यह न केवल हमें आलसी छोड़ देगा बल्कि हम धीरे–धीरे बात करना भूल जाएंगे और धीरे–धीरे तकनीक हमारे प्राकृतिक जीवन को संभाल लेगी। हम कम्प्यूटर में मौजूद होंगे हम बिजली खाएंगे हम पूरी तरह से एक आभासी दुनिया में रह रहे हैं। जहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं होगा।

संजय कुमार, शिक्षा अधिकारी,
क्षेत्रीय निदेशालय, जमशेदपुर

जीवन की गुणवत्ता

सामान्य जीवन की, बढ़े गुणवत्ता,
यदि कुशल गृहिणी के,
हाथों हो घर की सत्ता।

परस्पर प्रेम और विश्वास हो जहाँ
उस दाम्पत्य जीवन में,
बाधाओं का प्रवेश कहाँ।

स्वयं मुस्कुराएं सदा, जो दूसरों को भी हँसाए,
जहाँ भावों की अभिव्यक्ति से,
दुख–दर्द मिट जाएं।

चरित्र में सादगी, पड़ोसियों से नम्रता
जीवन में अनुशासन ही,
बढ़ाए जीवन की गुणवत्ता।

सोच हो वृहद, पर अल्प में ही संतुष्ट बनें
श्रेष्ठता की दौड़ में,
ऐसा जीवन ही विशिष्ट बने।

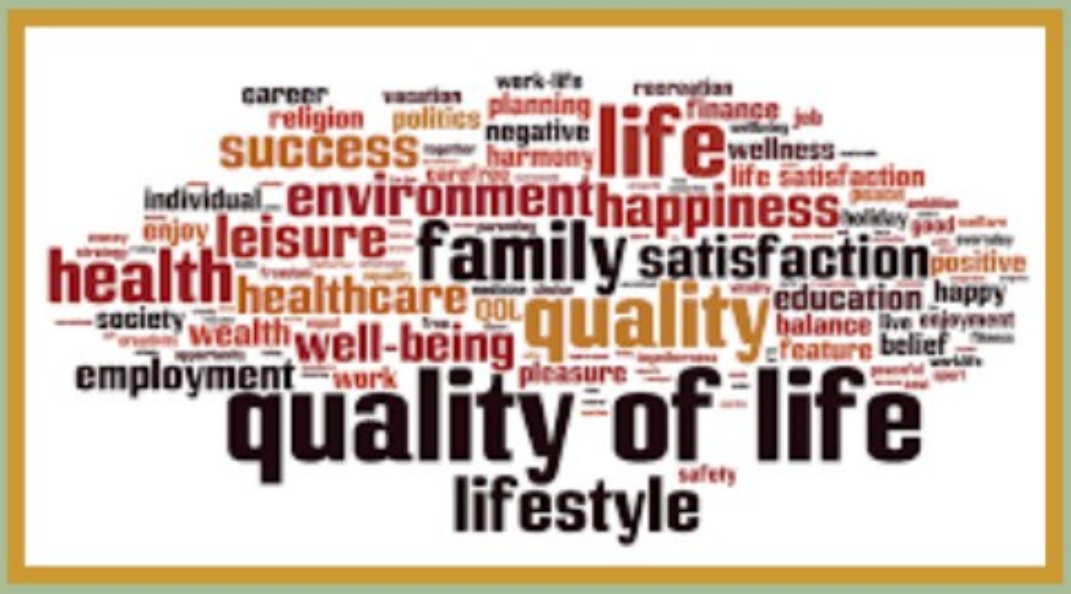

मोहनचंद सेन, शिक्षा अधिकारी,
क्षेत्रीय निदेशालय, अहमदाबाद

बरसात

सभी को रहता है इंतजार,
आयेगी बरसात और चढेगा खूमार।
घर में बनेगे पकोड और चीले,
मिलेगी कुछ राहत गर्मी और गम के बदले।

आ गई बरसात, लेकर कुछ सवाल,
क्यों गिर रही है बिजली, फट रहे हैं बादल
कहीं आ रही हैं बाढ, लग रहे हैं भूकंप के झटके।

हे मानव अब तो सुधर जा कब तक खाएंगा,
अपनी गलतियों के फटके,
मानव का धर्म सृष्टि और जीवो की रक्षा करना,
सत्कर्म कर, नियमा का पालन करना।

तब प्रसन्न होंगे निसग देवता दगे वरदान,
हरियाली और खुशिया से झूम उठेगी धरा लेकर सम्मान।
जब जागेगा मानव का अंतरमन, प्रेम और करूणा का भाव,
तभी आयेगी सच्ची बरसात, चहक उठेगी धरती,
मिट जायेगे सभी घाव।

राखी पौनीकर, आशुलिपिक,
मुख्यालय, नागपुर

हिन्दी के मुहावरे

हिन्दी के मुहावरे, बड़े ही बावरे हैं,
खाने पीने की चीजों से भरे हैं...
कहीं पर फल है तो कहीं आटा–दालें है,
कहीं पर मिठाई है, कहीं पर मसाले हैं,
चलो, फलों से ही शुरू कर लेते हैं,
एक–एक कर सबके मजे लेते हैं....

आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं,
कभी अंगूर खट्टे हैं,
कभी खरबूजे, खरबूजे को देखकर रंग बदलते हैं,
कहीं दाल में काला है,
तो कहीं किसी की दाल ही नहीं गलती हैं,

कोई चावल की खिचड़ी पकाता है,
तो कोई लोहे के चने चबाता है,
कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता है,
कोई दाल भात में मूसरचंद बन जाता है,
गरीबी में जब आटा गीला होता है,
तो आटे दाल का भाव मालू पड़ जाता है,

सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं,
आटे में नमक तो चल जाता है,
पर गेंहू के साथ, घुन भी पिस जाता है,
अपना हाल तो बेहाल है, ये मुंह और मसूर की दाल है,

गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं,
और कभी गुड़ का गोबर कर बैठते हैं,
कभी तिल का ताड़, कभी राई का पहाड़ बनता है,
कभी ऊँट के मुँह में जीरा है,
कभी कोई जले पर नमक छिड़कता है,
किसी के दांत दूध के हैं, तो कई दूध के धुले हैं,

कोई जामुन के रंग सी चमड़ी पा के रोई है,
तो किसी की चमड़ी जैसे मैदे की लोई है,
किसी को छठी का दूध याद आ जाता है,
दूध का जला छाछ को भी फूंक–फूंक पीता है,
और दूध का दूध, और पानी का पानी हो जाता है,

शादी बुरे के लड्डू हैं, जिसने खाए वो भी पछताए,
और जिसने नहीं खाए, वो भी पछताते हैं,
पर शादी की बात सुन, मन में लड्डू फूटते है,
और शादी के बाद, दोनों हाथों में लड्डू आते हैं,

कोई जलेबी की तरह सीधा है, कोई टेढ़ी खीर है,
किसी के मुंह में घी शक्कर है, सबकी अपनी–अपनी तकदीर है
कभी कोई चाय–पानी करवाता है,
कोई मक्खन लगाता है
और जब छप्पर फाड़ कर कुछ मिलता है,
तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है,

भाई साहब अब कुछ भी हो,
घी तो खिचड़ी में ही जाता है, जितने मुंह है, उतनी बातें हैं,
सब अपनी–अपनी बीन बजाते है,
पर नक्कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है,
सभी बहरे हैं, बावरे हैं, ये सब हिन्दी के मुहावरें हैं.....

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड का मुख्यालय, नागपुर है। पूरे देश में बोर्ड के अधीन एक शीर्षस्थ शिक्षण संस्थान भा.श्र.शि.सं., मुंबई, 06 आँचलिक निदेशालय एवं 50 क्षेत्रीय निदेशालय तथा 07 उप–क्षेत्रीय निदेशालय कार्यरत हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड में महानिदेशक की सहायता हेतु 01 सहायक निदेशक (राजभाषा), 01 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, 01 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी एवं 01 हिन्दी टंकक कार्यरत हैं जिनकी सहायता से राजभाषा के प्रचार–प्रसार का कार्य पूरे भारत में निष्पादित हो रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित निष्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं।

2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक:

बोर्ड के अधिकारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होते हैं।

3. हिन्दी दिवस/ पखवाड़ा का आयोजन:

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, मुख्यालय, नागपुर में 13 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया गया। बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/ आँचलिक निदेशालयों एवं भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई में श्रमिक शिक्षा दिवस की स्थापना दिवस के दिन दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को हिन्दी दिवस मनाया गया।

मुख्यालय में दिनांक 03.09.2019 से 13.09.2019 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान मुख्यालय तथा क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे निबंध प्रतियोगिता, सुलेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, कविता–पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अधिकारियां एवं कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। निम्नलिखित अधिकारी/ कर्मचारी ने नकद पुरस्कार भी प्राप्त किए।

.सं.	प्रतिभागी का नाम एवं पदनाम	तिथि	पुरस्कार श्रेणी	पुरस्कार राशि
	सुलेखन प्रतियोगिता	04.09.2019		
1.	श्री महेन्द्र खरे, एमटीएस		प्रथम पुरस्कार	रु.1800/-
2.	श्री स्वपनील वैद्य, एमटीएस, क्षे.निदे., नागपुर		द्वितीय पुरस्कार	रु.1500/-
3.	श्री पराग दवे, एमटीएस		तृतीय पुरस्कार	रु.1200/-
4.	श्री गेंदा प्रसाद महतो, एमटीएस		प्रोत्साहन पुरस्कार	रु.250/-
5.	श्री विक्रम बिरहा, एमटीएस		प्रोत्साहन पुरस्कार	रु.250/-
	हिन्दी निबंध प्रतियोगिता	06.09.2019		
1.	श्रीमती गरिमा गुप्ता, शिक्षा अधिकारी		प्रथम पुरस्कार	रु.1800/-
2.	कु. राखी पौनीकर, आशुलिपिक		द्वितीय पुरस्कार	रु.1500/-
3.	श्रीमती अनुपमा राऊत, वरिष्ठ लिपिक		तृतीय पुरस्कार	रु.1200/-
4.	श्री आशिष मेश्राम, वरिष्ठ लिपिक		प्रोत्साहन पुरस्कार	रु.500/-
	कविता पाठ प्रतियोगिता	09.09.2019		
1.	कु. राखी पौनीकर, आशुलिपिक		प्रथम पुरस्कार	रु.1800/-
2.	श्री आर. जी. कुरलकर, वैय. सहायक		द्वितीय पुरस्कार	रु.1500/-
3.	श्री सुधीर देवगिरकर, वरिठ लिपिक		तृतीय पुरस्कार	रु.1200/-
4.	श्रीमती अनुपमा राऊत, वरिष्ठ लिपिक		प्रोत्साहन पुरस्कार	रु.500/-
			कुल योग	15,000/-

- **प्रोत्साहन योजनाएं :**

बोर्ड में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रोत्साहन योजनाएं मुख्यालय एवं सभी आंचलिक/क्षेत्रीय निदेशालयों में लागू हैं।

- **हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणः**

बोर्ड में हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अधिकाधिक कर्मचारी प्रशिक्षित हुए हैं। कर्मचारियों को नियमानुसार वैयक्तिक वेतन एवं नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

जाँच बिन्दु (Check Points)

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय–समय पर जारी किए गये अनुदेशों एवं भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए बनाए गये जाँच बिन्दुओं का समुचित रूप से अनुपालन करने के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के मुख्यालय, भा.श्र.शि.सं. एवं सभी आँचलिक/क्षेत्रीय निदेशालयों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करें:

1. (क) 'ग' क्षेत्र में स्थित सभी आँचलिक/क्षेत्रीय निदेशालयों को न्यूनतम 55 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में करना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

   (ख) क एवं ख क्षेत्र में स्थित आँचलिक/क्षेत्रीय निदेशालय एवं संस्थान अपने कार्यालय से क, ख एवं ग क्षेत्र में स्थित कार्यालय को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020 के अनुसार पत्राचार हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें।

2. कार्यालय में सभी रजिस्टर द्विभाषी हों तथा उसमें प्रविष्टियाँ हिन्दी में करना अनिवार्य है। कार्यालय में रबर की मोहरें, साइन बोर्ड, सीलें, पत्र शीर्ष, नामपट्ट, वाहनों पर कार्यालय का विवरण, विजिटिंग कार्ड, बैच/बिल्ले, लोगों, मोनोग्राम, चार्ट/नक्शे द्विभाषी बनाएं।

3. कार्यालय में प्रवीणता प्राप्त/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों की सही सूची बनाएं। सूची में कर्मचारी का नाम, पदनाम, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृति की तिथि, मैट्रिक स्तर पर हिन्दी के ज्ञान की स्थिति, टंकण/भाषा प्रशिक्षण की स्थिति, शैक्षिक योग्यता का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए।

4. विज्ञापन के लिए निर्धारित कुल राशि में से 50 प्रतिशत राशि हिन्दी के विज्ञापनों पर जरूर खर्च की जाए।

5. मुख्यालय की वेबसाइट द्विभाषी करा ली जाए।

6. मुख्यालय एवं अन्य निदेशालयों में प्रशिक्षण हेतु शेष बचे अधिकारियों/कर्मचारियों को यथाशीघ्र प्रशिक्षण दिलाया जाए।

7. मुख्यालय, भा.श्र.शि.संस्थान तथा सभी आँचलिक/क्षेत्रीय निदेशालय अपने निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए वर्ष में 04 कार्यशालाएं अनिवार्यतः आयोजित करें तथा कार्यशाला व्यय का स्पष्टतः उल्लेख करें।

8. नराकास की बैठकों में अनिवार्य रूप से कार्यालय अध्यक्ष सम्मिलित हों।

9. राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा अधिनियम, 1963 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें। अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें।

10. क्षेत्रीय निदेशालय, कोचीन एवं अन्य निदेशालय तथा मुख्यालय, नागपुर एवं भा.श्र.शि.संस्थान, मुंबई टिप्पणियों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें।

11. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में ही दिए जाएं

12. जिन निदेशालयों में 80 प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं उन कार्यालयों को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित कराया जाए।

13. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है उन कर्मचारियों को टिप्पण–प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए केवल हिन्दी में कार्य करने के लिए आदेश जारी किए जाएं।

14. (क) सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य मुख्यालय द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी प्रकाशित की जाएं।

    (ख) कार्यालयों में प्रयोग में लाए जा रहे रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगें।

    (ग) सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन–सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएं अथवा मुद्रित कराई जाएं।

15. प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करे कि उसके निदेशालय में राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का समुचित रूप से अनुपालन हो, यदि ऐसा नहीं होता है तो नियम–12 के अंतर्गत कार्यालय प्रधान जिम्मेवार होंगे।

16. संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड की सिफारिश के अनुसार मुख्यालय एवं अन्य आँचलिक/क्षेत्रीय निदेशालय अपने कार्यालय में द्विभाषी रजिस्टर प्रयोग में लाएं तथा सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी हों।

17. 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखे जाएं।

18. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिन्दी में ही की जाएं। 'ग' क्षेत्र में यथासंभव हिन्दी में की जाएं। सेवा पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते समय कार्यालयाध्यक्ष सेवापुस्तिका की प्रविष्टि की स्वयं पड़ताल करें।

19. सभी प्रकार के प्रशिक्षण हिन्दी माध्यम से सम्पन्न कराएं जाएं ताकि अधिकारी/ कर्मचारी को हिन्दी में मूल कार्य करने में सुविधा हो।

20. हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण/भाषा प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में कार्य करने के लिए उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जाए।

21. धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज द्विभाषी में जारी किए जाएं।

22. पुस्तकों की खरीद के लिए नियत कुल धनराशि का 50 प्रतिशत हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदने के लिए खर्च किया जाए।

23. भर्ती संबंधी विज्ञापनों, विवरण–पत्रों तथा साक्षात्कारों के लिए उम्मीदवारों को भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों। लिखित रूप से सूचना मांगी जाए कि वह साक्षात्कार के लिए किस भाषा का माध्यम अपनाना चाहता है ताकि चयन बोर्ड द्वारा उसका साक्षात्कार उसी भाषा में लिया जाए। चयन बोर्ड का गठन भो इस प्रकार किया जाए कि उसके सदस्यों को हिन्दी का भी ज्ञान हो।

24. प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करें, कार्यालयाध्यक्ष को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए। हर तिमाह में नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाएं।

25. मुख्यालय, नागपुर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष में एक बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करे।

26. प्रत्येक निदेशालय प्रत्येक तिमाह की समाप्ति के 03 दिनों के अंदर अपने तिमाह की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट, छःमाही, वार्षिक रिपोर्ट आदि मुख्यालय को समयानुसार भेजना सुनिश्चित करे।

उपुर्यक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें।

सेवा में,
उप निदेशक (शिक्षा/ मुख्यालय/ प्रशिक्षण) एवं
सभी आँचलिक/क्षेत्रीय निदेशक,
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. को अनुपालनार्थ।

(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक

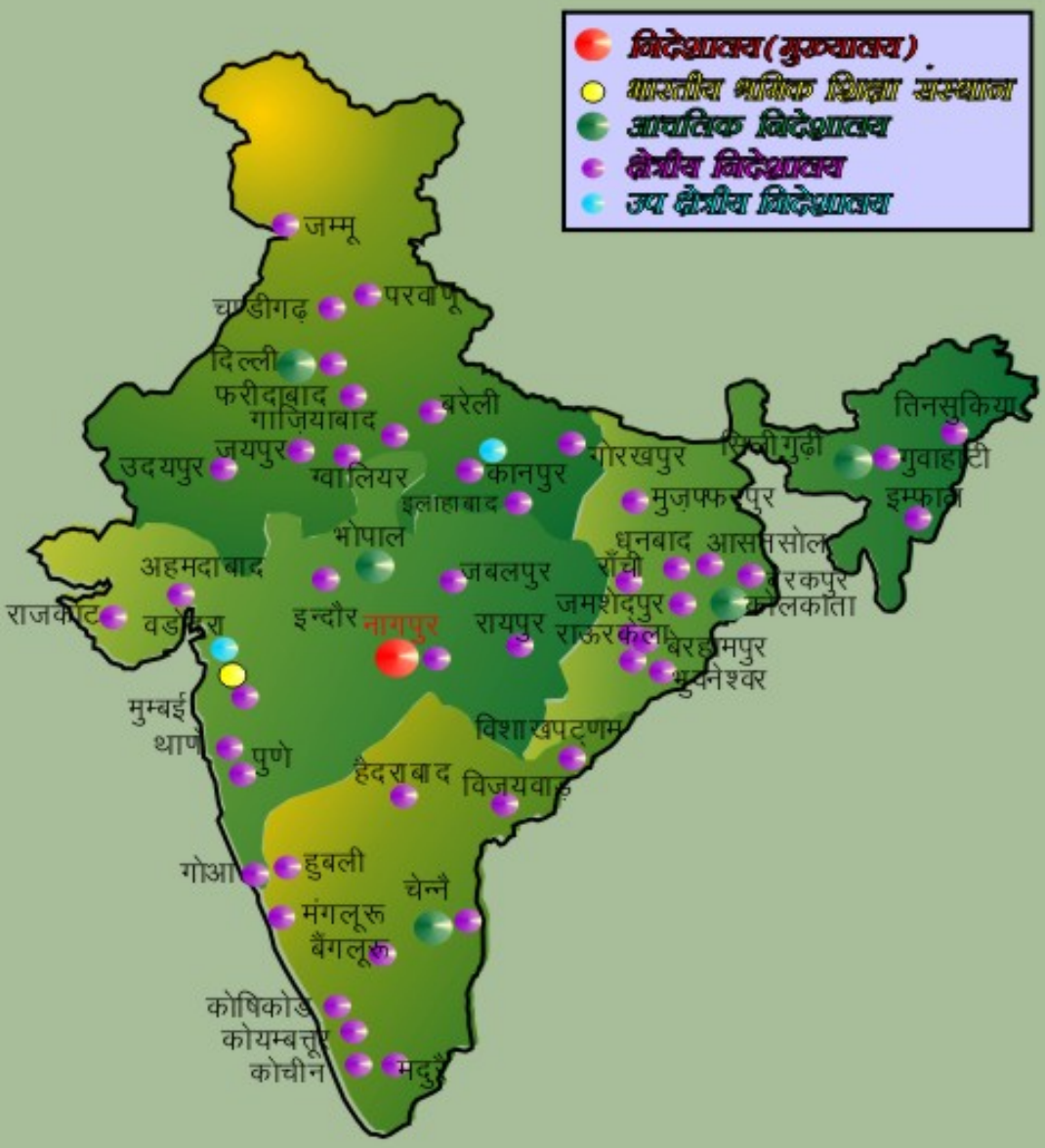

दत्तोपंत ठेंगडी
राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)